इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2020–फाल्गुन 3, शक 1941

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2020

क्रमांक–एफ–8–1–2020–नियम–चार.– राज्य शासन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश मूलभूत नियम में निम्नलिखित संसोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 22 सी में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्, :–

"(1) (क) लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति होने पर परिवीक्षा काल में वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करेगा.

(ख) ऐसी सेवायें, जिनके लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती चयनित शासकीय सेवक को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशतः

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्तें शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, सचिव.

Bhopal, the 22nd February 2020

Letter No.-F-8-2020-Rule-IV.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of india, the Government of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 22C, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) (a) On appointment of a candidate selected through Public Service Commission, Shall receive the minimum of the pay scale during the probation period.

(b) The services for which selection is not recommended, by the Madhya Pradesh Public Service Commission, the following stipend shall be payable to the selected government servant during the probation period of three years :-

(i) First year - 70% of the minimum of the pay scale of the post;

(ii) Second year - 80% of the minimum of the pay scale of the post;

(iii) Third year - 90% of the minimum of the pay scale of the post:

Provided that during probation period, along with the stipend, other allowances shall be received as a government servant."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GULSHAN BAMRA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.